न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2531–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–2013 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर प्रकरण कमांक 28/अ–12/2012–13

नन्दराम उम्र लगभग 62 वर्ष
पुत्र स्व0 श्री कालूराम कोटवार,
निवासी व कृषक ग्राम बगोनिया,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 गोपीलाल उम्र लगभग 60 वर्ष
2 बाबूलाल उम्र लगभग 55 वर्ष
3 नन्दलाल उम्र लगभग 40 वर्ष
समस्त पुत्रगण स्व0 श्री गोरेलाल,
समस्त निवासीगण ग्राम बगोनिया
तहसील हुजूर, जिला भोपाल म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री एस0 एम0 खिड़वरकर, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 10 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर द्वारा पारित आदेश 16–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष जन सुनवाई में ग्राम बगोनिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 94/2/1, 94/2/2 एवं 94/2/3 रकबा कमशः 5.91, 5.92 एवं 2.17 एकड़ भूमि के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र तहसीलदार को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 28/अ–12/12–13 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमियों का सीमाकंन कराया जाकर दिनांक 16--1–2013 को सीमाकंन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) पुनरीक्षणाधीन विवादित सीमाकंन की कार्यवाही के कुछ माह पूर्व ही उत्तरदाता कमांक 1 गोपीलाल ने उसकी प्रश्नाधीन कृषि भूमि के लिये तथा निकटवर्ती कृषक श्रीमती सरजूबाई ने उसकी भूमि खसरा कमांक 1/9/3/15/1/1–क की भूमि का सीमाकंन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे। इस प्रार्थना पत्र पर सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक को सीमाकंन के लिये भेजा गया था । प्रस्तावित सीमाकंन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 8–11–2010 को उक्त अधिकारियों द्वारा यह पाया गया था कि सीमांकन हेतु अतिआवश्यक सीमा चिन्ह/चॉदा ग्राम में उपलब्ध नहीं है और राजस्व नक्शें में बटानें भी कायम नहीं है, ऐसी स्थिति में सीमा चिन्ह स्थापित किये बगैर और नक्शे में बटान कायम कराये बिना भूमियों का सीमाकंन कर पाना संभव नहीं है । इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन दिनांक 28–12–2010 को प्रस्तुत होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने उनके प्रकरण कमांक 877/बी–121/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांकित 26–2–2011 के अनुसार यह आदेशित किया था कि सीमाकंन के लिये सीमा चिन्ह/चॉदा स्थापित किये बगैर और नक्शे में बटान कायम होने के पूर्व भूमियों का सीमांकन किया जाना संभव नहीं है । इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया था । इन तथ्यों को छुपाते हुए अनावेदक ने जनसुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति करने के बाद भी सीमांकन करा लिया, जो विधि एवं प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जावे ।

(2) सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा तत्कालीन अपर तहसीलदार द्वारा लिखे गये पत्र के बाद 2010 से लेकर आज तक ग्राम बगोनिया में न तो स्थाई चिन्ह स्थापित किये गये है, एवं न ही नक्शे में बटान डाले गये हैं । इसके बावजूद गोपीलाल व उसके भाईयो द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से सीमांकन कराया गया है । इन सब तथ्यों को आवेदक के द्वारा आपत्ति में उल्लेखित किया गया था एवं सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, इसके बावजूद बिना सीमा चिन्हों के सीमांकन किया गया है ।

(3) आवेदक की भूमि के बाद सरकारी रास्ता है, जो लगभग 100 सालों से है, जिसका उपयोग गांव के सभी लोग करते है । उक्त रास्ता शासन द्वारा फेयर वेदर रोड के रूप में बनाया गया है । उक्त रास्ते के दूसरी तरफ अनावेदकगण की भूमि हैं एवं उसके बाद नाला है । राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमाकंन के आधार पर सरकारी रास्ता अनावेदकगण की निजी भूमि में ही सम्मिलित कर दिया गया है तथा उसके बाद आवेदक की भूमि में भी उनकी भूमि होना दर्शा दिया गया है, जो विधि एवं प्रकिया के विपरीत सीमांकन किया गया है । इस कारण से आवेदक की भूमि को अनावेदक की भूमि बताई जा रही है । आवेदक के खसरा कमांक 91 का लगभग पिछले 60 वर्षो से भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी है एवं पिछले 60 वर्षों से इन खसरे पर कृषि कार्य कर रहा है ।

(4) राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में ग्राम झापड़िया के सीमा चिन्ह को आधार मानते हुए कथित सीमांकन प्रतिवेदन बनाया है, जबकि ग्राम झापड़िया में भी मौके पर कोई सीमा चिन्ह वर्षो बरस पूर्व से नहीं है । राजस्व निरीक्षक ने आवेदक की आपत्ति होते हुए भी मौके पर सीमांकन किया है और पंचनामें पर अनावेदकगण के परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर है, किसी पड़ोसी किसान के हस्ताक्षर नहीं है । उक्त पंचनामा भी पारिवारिक पंचनामें के रूप में तैयार किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्जी तरीके से किये गये सीमांकन का परीक्षण किया जाना आवश्यक है । ग्राम का जो रास्ता लगभग पिछले 100 सालों से चला आ रहा है, वह सुखाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत है, जिस पर गांव के सभी लोगों को सुखाधिकार प्राप्त है । उक्त रास्ते का उपयोग आसपास के गांव के लोग करते है ।

(5) आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि की दिशा दक्षिण की ओर सटकर खसरा नम्बर 91 की भूमि में विगत 100–150 वर्षों से भी अत्यधिक पुराना ग्राम झापड़िया

का आम रास्ता उपलब्ध है । इसी आम रास्ते वाले स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा म0 प्र0 शासन की राशि से डब्ल्यू0बी0 एम0 रोड का निर्माण विगत 20–25 वर्ष पूर्व सम्पन्न किया गया है । इस रास्ते के दूसरी ओर अनावेदकगण की भूमियां उपलब्ध है । उक्त स्थिति राजस्व प्रलेखों एवं राजस्व नक्शें में मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रभावशील होने के समय से ही लगातार आज तक अभिलेखांकित होते हुए चली आ रही है । इसके बाद भी अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राजस्व प्रलेखों और नक्शे के विपरीत मनमाने ढ़ंग से अनावेदकगण की तथाकथित कृषि भूमियों को गलत तरीके से आम रास्ते के दूसरी और अर्थात आवेदक की भूमि में दर्शाकर विधि विरूद्ध एवं दुर्भावनापूर्ण कृत्य किया है ।

(6) राजस्व नक्शे में मुताबिक मौके पर उपलब्ध आम रास्ते अर्थात डब्ल्यू0बी0एम0 रोड की सीमांकन कार्यवाही के दौरान कोई नाप ही नहीं की गयी है और आम रोड को दृष्टि ओझल कर अन्य स्थानों पर आम रोड दर्शाकर सीमाकंन के दौरान नवीन नक्शा अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा तैयार कर दिया गया, जिसमें स्थल के विपरीत मौके पर स्थित रास्ते और भूमियों की स्थितियों को बदलकर दूसरे स्थान पर उल्लेखित कर दिया गया है । इतना ही नहीं सीमांकन कार्यवाही में भूमि की स्थल वास्तविकता को अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत दर्शाकर कार्यवाही सम्पन्न की गयी है ।

(7) तथाकथित सीमांकन का आधार जो सीमावर्ती ग्राम झापड़िया को माना है तथा इसी से लगा हुआ नाला को आधार माना है, जबकि प्रावधान अनुसार नदी, नाला को स्थायी चिन्ह मानकर उससे नपती नहीं की जा सकती है, क्योंकि हर वर्ष बरसात में नदी, नाला का स्वरूप बदल जाता है । इस सीमांकन में नाला को मानकर सीमांकन किया गया है, जबकि पूर्व में यह नाला शासकीय अभिलेख में 10 फीट का था, जबकि वर्तमान में यह 40–50 फीट का हो चुका है । इस कारण से अनावेदक की भूमि का गलत चिन्हों से नपती करने के कारण अनावेदक की भूमि को आवेदक की भूमि को बता दिया गया है, जो विधिवत नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5 / आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण में सलग्न पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि सीमाकंन की कार्यवाही ग्राम बगोनिया के स्थाई सीमा चिन्ह चॉदा पत्थर से न की जाकर सरहदी ग्राम झापडिया स्थिति सर्वे कमांक 93 / 1 एवं 82 / 2 की मेढ एवं सर्वे कमांक 59 / 3 पर स्थित चिन्हित चीरा से तथा सर्वे कमांक 87 / 1, 90 / 1, 86 / 1 / 1 एवं 86 / 1 / 2 की स्थाई मेढो से की गई है । इस संबध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में यह आधार उठाया गया है कि पूर्व में अनावेदक कमांक 1 गोपीलाल एवं अन्य कृषक सरजूबाई द्वारा उनकी भूमियों के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिसके संबध में सीमाकंन दल द्वारा सीमाकंन कार्यवाही के समय यह पाया गया था कि ग्राम बगोनिया में स्थाई सीमा चिन्ह चॉदा पत्थर उपलब्ध नहीं है, इसलिये सीमाकंन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । इस संबंध में अपर तहसीलदार द्वारा तहसीलदार को स्थाई सीमा चिन्ह चॉदा पत्थर पुनः स्थापित करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और अपर तहसीलदार द्वारा अधीक्षक भू—अभिलेख को भी स्थाई सीमा चिन्ह कायम करने हेतु पत्र लिखा गया है, परन्तु बिना स्थाई सीमा चिन्ह कायम किये सीमाकंन करने में सीमाकंन दल द्वारा अवैधानिकता की गई है । चूँकि सीमाकंन दल द्वारा सीमाकंन सरहदी ग्राम झापडिया स्थित भूमियों की मेढ एवं चिन्हित चीरा से किया गया है, इसलिये आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाये गये उपरोक्त आधार को बल मिलता है । सीमाकंन पंचनामा में नाले के सत्यापन का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि प्रतिवेदन में समवर्ती नाले का सत्यापन किया जाकर सीमाकंन किये जाने का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त सीमाकंन पंचनामा एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिन भूमियों का सीमाकंन किया गया है उनमें रास्ता होना पाया गया है और रास्ते के उपरान्त अनावेदकगण की भूमियों पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, इससे यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि रास्ता सार्वजनिक है अथवा अनावेदकगण का, जबकि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा 100—150 वर्षों से शासकीय रास्ता होना दर्शाया गया है, शासकीय रास्ता अनावेदकगण की भूमियों में कैसे हो सकता है, विचारणीय प्रश्न है । उपरोक्त स्थिति को देखते हुये इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमियों का सीमाकंन

उभयपक्ष की उपस्थिति में एक साथ किया जा ... कि वास्तविक स्थिति अवैध कब्जे के सबध में स्पष्ट हो सके ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तह... तहसील हुजूर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2013 निरस्त किया जाता है । ...ण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्ति... जाता है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक ... पीबीआर/13 पर लागू होगा । अतः इसकी एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जा...

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर